कार्यालय नगर परिषद,जालोर (राज0)

क्रमांक :-नपजा/ विकास/इ.र.यों./EOI/2022/......5727 दिनांक :- 18/10/22

:: अभिरूची की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) ::

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार से जारी आदेशों एवं श्रीमान जिला कलेक्टर व अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति (इन्दिरा रसोई योजना), जालोर के द्वारा प्रदत दिशा-निर्देशों की अनुपालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय,राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट बिन्दु संख्या 56 व बजट घोषणा 2022-23 के रिप्लाई के बिन्दु संख्या 22 के क्रम में प्रदत विभागीय दिशा-निर्देशानुसार जालोर जिले में 10 नवीन प्रस्तावित इन्दिरा रसोईयों की स्थापना के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के संकल्प "कोई भूखा नही सोए" को साकार करने के लिए शेष 02 नवीन प्रस्तावित इन्दिरा रसोईयां शीघ्र की शुरू की जानी प्रस्तावित है। इन्दिरा रसोई योजना के संचालन के मूल उद्देश्य न्यूनतम लागत राशि पर जरूरतमंद आमजन को सेवाभाव के आधार पर भोजन उपलब्ध कराना है।

अतः उक्त क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त विषयक व्यावसायिक हित के स्थान पर सेवाभाग के आधार पर जालोर जिले में संबंधित कार्यालयों/विभागों के द्वारा प्राप्त निम्नांकित 02 प्रस्तावित चयनित स्थलों पर निम्नांकित **02 नवीन इन्दिरा रसोईयों** के संचालन हेतु कार्य करने लिए इच्छुक संस्थान/दानदाता/ एन.जी.ओ.आदि, यानि कार्यरत प्रतिष्ठित गैर शासकीय/धार्मिक/स्वयंसेवी कल्याणकारी संस्था/सहकारी संध/फर्म/कॉर्पोरेट/स्थानीय स्वयं सहायता समूह/क्षेत्र स्तरीय संघ/नगर स्तरीय संघ इत्यादि (आवेदक) से इन्दिरा रसोई संचालक संस्थान के रूप में सूचीबद्ध एवं चयन करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र मय प्रस्ताव बंद लिफाफे में इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 18.10.2022 को प्रातः 11.00बजे से दिनांक 28.10.2022 को सांय 5.00 बजे तक इस अभिरूची की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के माध्यम आमंत्रित किये जाते है।

क्र सं.	प्रस्तावित स्थान का नाम	प्रस्तावित रसाई की संख्या	प्रस्तावित नवीन इन्दिरा रसोई संचालन हेतु प्रस्तावित चयनित स्थान (स्थान व भवन) का विवरण
01	नगर पालिका भीनमाल	01	किसान भवन, कृषि मण्डी, रामसीन रोड, भीनमाल
02	नगर पालिका सांचोर	01	सब्जी मण्डी, सांचौर

इसमें प्रत्येक इन्दिरा रसोई हेतु इच्छुक आवेदक संस्थान को इस कार्यालय में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें इच्छुक आवेदक संस्थान को अपने प्रत्येक आवेदन के साथ में प्रतिभूति राशि 10.000/-रू0 क्रमशः हिन्दी भाषा में "आयुक्त, नगर परिषद् जालोर" अथवा अंग्रेजी भाषा में "Commissioner Municipal Council Jalore" के नाम से जारीसुदा वैद्ध डी0डी0/बैंकर्स चैक के माध्यम से इस कार्यालय मे उक्त निर्धारित तिथि तक जमा कराना अनिवार्य होगा या इच्छुक आवेदक संस्थान को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपने आवेदन की उक्त प्रतिभूति प्रतिरसोई 10,000/-रू0 राशि की डी0डी परिषद् कोष में निर्धारित तिथि तक जमा करवाना अनिर्वाय होगा, अन्यथा इसके अभाव में संबंधित इन्दिरा रसोई के लिए संबंधित आवेदक संस्थान का आवेदन स्वीकार योग्य नही होगा।

उक्त 08 नवीन प्रस्तावित इन्दिरा रसोईयों के संचालन हेतु एक से अधिक आवेदन-पत्र मय प्रमाण-पत्र मय प्रस्ताव प्राप्त होने की स्थिति में एक प्रतिष्ठित/स्थानीय संस्थान को प्राथमिकता से चयन करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार के द्वारा गठित जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति, जालोर का ही निर्णय अन्तिम होगा, जिसमें उक्त गठित समिति के द्वारा पारदर्शिता उक्त निर्धारित अवधि मे प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर उसकी सक्षमता, कार्यनुभव, सेवाभाव एवं कार्यकलापों के आधार पर वरीयता देते हुए चयन किया जावेगा।

इस अभिरूची की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के माध्यम से यदि कोई आवेदक संस्थान/दानदाता/एन.जी.ओ. आदि अपने स्वयं के खर्चे पर इन्दिरा रसोई का संचालन करने का आवेदन मय प्रस्ताव प्रस्तुत करते है तो उसे उक्त गठित समिति के द्वारा उस आवेदक संस्थान/दानदाता/एन.जी.ओ. आदि के चयन पर समुचित निर्णय मय सक्षम स्वीकृति उपरांत उस इन्दिरा रसोई के संचालन हेतु निःशुल्क भवन, बिजली, पानी उपलब्ध करवाया जावेगा।

उक्त विषयक अधिक जानकारी के लिए प्रभारी अधिकारी (इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ) नगर परिषद् जालोर से कार्यालय दिवस में एवं समय में सम्पर्क किया जा सकता है। इसमें आवेदन संबंधि अधिक जानकारी विभागीय वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

इन्दिरा रसोई योजनान्तर्गत यह अभिरूची की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) के माध्यम अद्योहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर मय इस कार्यालय की मोहर से दिनांक 18.10.2022 को जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रसारित की जाती है।

आयुक्त नगर परिषद् जालोर
जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति
जालोर

क्रमांक :-नपजा/ विकास/इ.र.यों./EOI/2022/............. दिनांक :-

प्रतिलिपिः-को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।

3. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय व अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
4. श्रीमान उपनिदेशक (क्षै.) स्थानीय निकाय विभाग जोधपुर।
5. श्रीमान स्टेट नोडल अधिकारी, इन्दिरा रसोई योजना, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. माननीय सभापति महोदय नगर परिषद् जालोर।
7. श्रीमान जिला रसद अधिकारी जालोर- सदस्य जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
8. श्रीमान सचिव कृषि उपजमण्डी समिति जालोर- जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
9. श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर सदस्य जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
10. श्रीमान कोषाधिकारी जालोर- सदस्य जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
11. अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका भीनमाल/सांचौर जिला जालोर- सदस्य जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
12. निजी सहायक आयुक्त नगर परिषद् सचिव व कोषाध्यक्ष जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनिटरिंग समिति जालोर।
13. इन्दिरा रसोई प्रकोष्ठ (जालोर जिला मुख्यालय) नगर परिषद् जालोर।
14. श्रीमान प्रबंधक निदेशक राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ई.ओ.आई. क्रमशः(1)एक राज्य संस्करण समाचार पत्र (2)राजस्थान पत्रिका जालोर संस्करण एंव (3)दैनिक भास्कर जालोर संस्करण के सामाचार-पत्र में स्वीकृति डी.पी.आर./डी.ए.वी.पी. दर पर न्यूनतम साईज में प्रकाशित करवाने का श्रम करावे, जिसमें प्रकाशित समाचार-पत्र मय विपत्र (दो प्रतियों में) नियमानुसार भुगतान सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करावें। उक्त प्रकाशित ई.ओ.आई. के सभी समाचार-पत्रों की सूचना आप द्वारा इस कार्यालय की ई-मेल आई.डी. ....पर भिजवाने का श्रम करावें।
15. नोटिस बोर्ड नगर परिषद् जालोर/कलेक्ट्रेट कार्यालय/पी.डब्ल्यू.डी./पी.एच.डी./रेल्वे स्टेशन/नया बस स्टेण्ड जालोर।
16. सुरक्षित पत्रावली।

आयुक्त नगर परिषद् जालोर
जिला स्तरीय समन्वय एवं मोनेटरिंग समिति
जालोर

परिशिष्ठ—अ

इन्दिरा रसोई योजना

(आवेदन पत्र)

(प्रत्येक रसोई के लिये अलग अलग आवेदन करे)

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

क्रस	विषय वस्तु	
1	नगरीय निकाय का नाम जिसकी रसोई हेतु आवेदन किया जा रहा है।	....
2	रसोई का कार्यक्षेत्र अथवा रसोई कमांक	....
3	आवेदक संस्था का नाम	....
4	आवेदक संस्था का प्रकार	....
5	संस्था प्रधान का नाम	....
6	संस्था के कार्यालय का सम्पूर्ण पता मय पिन कोड	....
7	संस्था का सम्पर्क सूत्र	टेलीफोन .... मोबाईल न0 ....
8	संस्था का ईमेल	....

(11)

आयुक्त
नगर परिषद, जालोर

क्रस	विषय वस्तु	विवरण	संलग्न दस्तावेज	प्रस्ताव पृष्ठ संख्या
9	संस्था का पंजीयन व संबंधित दस्तावेज			
10	संस्था का पेन न0 व संबंधित दस्तावेज			
11	संस्था का जीएसटी व संबंधित दस्तावेज			
12	संस्था के बैंक खाते का विवरण (निरस्त चैक की प्रति संलग्न करे)			
13	प्रतिभूति राशि की विवरण व दस्तावेज			
14	संस्था के संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव का विवरण व संबंधित दस्तावेज			
15	यदि संस्था को किसी भी केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है अथवा नही (केवल हां या नही अंकित करे)			
16	संस्था रसोई का संचालन जिस भवन में करेगी उसका विवरण	केवल एक का ही चयन कर निर्धारित स्थान का विवरणः– ☐ संस्था का स्वयं का भवन ☐ संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन ☐ राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन		
1	संस्था का स्वयं का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
2	संस्था द्वारा स्वपोषित किराये का भवन (सम्पूर्ण पता सहित)			
3	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले भवन			
17	वित्तिय प्रस्ताव– यदि राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान लेना चाह रहे है अथवा नही (केवल हा/नही)			
18	EoI के समस्त पृष्ठ हस्ताक्षरित मय संस्था की सील (संलग्न कर पृष्ठ क्रमांक अंकित करे)			

उपरोक्त वर्णित सूचना मेरे द्वारा पूर्ण सत्यता से भरी गई है। यदि भविष्य में उपरोक्त में से कोई भी सूचना गलत पाई जाती है। तो मैं उसका पूर्ण जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदनकर्ता संस्था प्रधान के
हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट–स

प्रारूप
इन्दिरा रसोई योजना

अनुबन्ध (Agreement) संख्या .... /2020

आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष आयुक्त नगर परिषद जालोर एवं द्वितीय पक्ष .... (संचालक संस्था का नाम व पता) के मध्य यह अनुबन्ध (Agreement) निष्पादित हुआ है।
यह अनुबन्ध इन्दिरा रसोई योजना के तहत नगर परिषद जालोर में स्थापित रसोई .... (रसोई का स्थान मय पता) के संचालन संबंधी गतिविधियो के लिये संचालक संस्था के रूप में .... (फर्म का नाम) द्वारा सेवाये प्रदान करने के लिये सम्पादित किया गया है। इस संबंध में दोनो पक्ष सहमत है कि

(1) कार्य–

1. संचालक संस्था द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन, ईओआई, कार्यादेश व इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये/जाने वाले निर्देशो के अनुरूप संचालक संस्था के रूप में सेवाये प्रदान करेंगी।
2. संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी के रसोई आगमन पर योजना हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थी का फोटो खींचकर, नाम व मोबाईल न0 अंकित कर लाभार्थी से निर्धारित राशि प्राप्त करने के पश्चात् कूपन जारी किये जायेंगे। तत्पश्चात् ही भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। संचालक संस्था द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिये लाभार्थी के पहचान हेतु आधार अथवा अन्य कोई दस्तावेज नही लिया जायेगा।

(2) समयावधि–

1. कार्यादेश जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष हेतु अनुबन्ध प्रभावी रहेगा, जिसे आपसी सहमति से आगे बढाया जा सकेगा।
2. अनुबन्ध अवधि के संबंध में अन्य कार्यवाही गाईडलाईन एवं ईओआई में वर्णित दिशा निर्देशो/शर्तो के अनुसार की जावेगी।
3. संस्था की परफोरमेन्स व कार्यव्यवहार संतोषजनक नही पाये जाने या किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने व जांच/सत्यापन में सही पाये जाने पर संस्था का चयन जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, ऐसी संस्थाओ को भविष्य में आवेदन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

(3) भुगतान–

1- संचालक संस्था द्वारा लाभार्थी से दोपहर के भोजन हेतु 8/– रूपये प्रति थाली एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु 8/– रूपये प्रति थाली लिये जायेंगे।

2- संचालक संस्था को कार्यादेश में वर्णित दर के अनुसार वितरित किये गये दोपहर एवं रात्रिकालीन भोजन हेतु प्रति थाली अनुदान राशि दी जायेगी। नियमानुसार जीएसटी राशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

3- संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत बिलो को नगर परिषद जालोर द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसके प्रमाणीकरण के आधार स्टेट डाटा सेन्टर में वर्णित ईकाईयां होगी।

(4) सब कॉन्ट्रेक्ट व पार्टनर शिप– संचालक संस्था को आवंटित कार्य या उसका कोई भी हिस्सा किसी भी परिस्थिति में उसके द्वारा किसी अन्य संस्था को Sub Contract and Partnership पर नही दिया जायेगा।

(5) अनुबन्ध के लिये विधि– यह अनुबन्ध भारत तथा राजस्थान राज्य की विधि (Law) के तहत क्रियान्वित किया जायेगा। सभी विवादो का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

(6) क्षतिपूर्ति– आधारभूत मद से उपलब्ध करायी गये आधारभूत संसाधनो की जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में संस्था द्वारा स्वयं के स्तर पर क्रय कर उपलब्ध कराना होगा। संचालक संस्था द्वारा अनुबन्ध अवधि समाप्त होने बाद उपलब्ध कराये गये समस्त संसाधनो को नगर परिषद को लौटाने होंगे।

(7) वाद विवाद– अनुबन्ध अवधि में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद होने की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश एवं राज्य सरकार द्वारा जारी ईओआई तथा योजना के राज्य सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार जिला स्तरीय मॉनिटरिंग एवं समन्वय समिति द्वारा निपटारा किया जायेगा।

(8) अनुबन्ध का भाग– संचालक संस्था द्वारा प्रस्तुत, संचालक संस्था को दिया गया कार्यादेश, विभाग के आदेश एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/3704 दिनांक 02.08.2020 द्वारा योजना की जारी की गई गाईडलाईन (यथा संशोधित) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी ईओआई अनुबन्ध के भाग होंगे।

नगर परिषद की ओर से	**संचालक संस्था की ओर से**
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर ....
नाम	नाम ....
पदनाम	पदनाम ....
गवाह	गवाह
1	1 ....
2	2 ....

आयुक्त
नगर परिषद जालोर

(महिपाल सिंह)
आयुक्त, नगर परिषद जालोर
एवं पदेन सचिव, कोषाध्यक्ष